

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/2026 /
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 06/03/2022
०४

श्री आलोकनाथ ओझा, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को 'इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) से दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए) में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य मेंव्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने रथान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


कृष्णमूर्ति मिश्र


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/2027 /
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 06/03/2022
०४

प्रतिलिपि :-

1. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 1255/रथा ग्वालियर, दिनांक 08.03.2022 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए (एस.ए), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री आलोकनाथ ओझा, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन समा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)